जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 07.02.2024

थाना आदर्शमण्डी

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 07.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 24.01.2024 को थाना आदर्शमण्डी क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म के संबंध में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना आदर्शमण्डी पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.ज्योतिराज पुत्र प्रभात राणा निवासी खेडी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 17/24 धारा 363/376(डी)ए भादवि 5जी/6 पोक्सो एक्ट थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 अनिल कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2.का0 राहुल सिंह थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 07.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 03.02.2024 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म के संबंध में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना कैराना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सचिन पुत्र स्व0 श्री सहन्सरपाल सिंह निवासी ग्राम मावी थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 54/24 धारा 363/376(3) भादवि व 3/4(2) पोक्सो अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 आनन्द कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 पंकज कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.का0 अंकित मावी थाना कैराना जनपद शामली।

जनपद पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 07.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कैराना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के संबंध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.भोपाल पुत्र ईलमचन्द्र सिंह निवासी ग्राम मलकपुर थाना कैराना जनपद शामली।

2.सत्यप्रकाश पुत्र ईलमचन्द्र सिंह निवासी ग्राम मलकपुर थाना कैराना जनपद शामली।

जनपद शामली की साइबर सैल व थाना थानाभवन पर संचालित साइबर सैल की त्वरित कार्यवाही के चलते ऑनलाइन धोखाधड़ी कर ठगी की गई 23000/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

दिनांक 20.01.2024 को आवेदक श्री गोपाल पुत्र कलीराम निवासी ग्राम यारपुर थाना थानाभवन जनपद शामली के खाते से 23,000/- रुपये ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में थानाभवन साइबर सेवा केन्द्र पर शिकायती प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 07.02.2024 को पुलिस अधीक्षक महोदय शामली श्री अभिषेक के निर्देशन में साइबर सैल थानाभवन व साइबर सैल शामली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आवेदक के खाते से निकाली गयी कुल धनराशि 23000/- रुपये को आवेदक के खातें में वापस करायी गयी। आवेदक उपरोक्त द्वारा साइबर सैल थाना थानाभवन एवं साइबर सेल शामली का आभार व्यक्त किया है।

साइबर सैल टीम थानाभवनः-

1.प्र0नि0 श्री सतीश कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.व0उ0नि0 श्री प्रवेश शर्मा थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.कं0ओ0 अमरजीत सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

अपर पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा महिला थाने का वार्षिक निरीक्षण कर संबंधित आधिकारी/कर्मचारीगण को दिए आवश्यक दिशा–निर्देशः-

आज दिनांक 07.02.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा महिला थाने का किया गया वार्षिक निरीक्षण । निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा थाने के महत्वपूर्ण अभिलेखों को चैक किया गया, थाने पर महिला फरियादी की समस्याओं के निस्तारण हेतु, थाने पर प्रति-दिन जनसुनवाई अधिकारी नियुक्त करने, CCTNS कार्यालय पर फीडिंग होने वाली सूचनाओं, लंबित विवेचना, महिला हवालात का निरीक्षण किया गया, साथ ही महिला थाने के समस्त पुलिस कर्मियों की समस्याओ को सुनकर उनके निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया । अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पाई गई खामियों को दुरुस्त करने के लिए मातहत को बताया गया । निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री श्याम सिंह, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती मोनिका चौहान के अतिरिक्त सभी उपनिरीक्षक/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।